अत्यावश्यक

पत्रांक–..... / आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
बिहार ।

पटना–15, दिनांक–

विषयः बाढ़ प्रभावितों को मुफ्त साहाय्य (Gratuitous Relief) वितरण के संबंध में।

महाशय,

अवगत हैं कि अधिसूचित प्राकृतिक/स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से प्रभावितों को मुफ्त साहाय्य का वितरण किया जाता है। जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार को अनुग्रह अनुदान के अलावा घायलों को भी अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों के वस्त्र एवं बर्तन/घरेलू सामान बह गये हैं/ क्षतिग्रस्त हुए हैं/ गम्भीर रूप से एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जल प्लावित रहे हैं, वैसे परिवारों को मुफ्त साहाय्य मद में वस्त्र एवं बर्तन/ घरेलू सामान की क्षति के लिए भी निर्धारित मानदर के अंतर्गत मुफ्त साहाय्य देने का प्रावधान है। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात अति जरूरतमन्द परिवारों को खाद्यान्न एवं नकद अनुदान के रूप में मुफ्त साहाय्य उपलब्ध कराया जाता है ।

2– भारत सरकार के पत्र सं0– 32–7/2014 NVM–1 दिनांक 08–4–2015 द्वारा राज्य/राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस कोष के अंतर्गत निर्धारित मानदर आपदा प्रबंधन विभागीय पत्रांक–1973/आ0प्र0, दिनांक–26–5–2015 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों को प्रेषित है। निर्धारित मानदर की कंडिका–1 (ड़) के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् अति जरूरतमन्द परिवारों को मुफ्त सहाय्य मद में 60/– रू0 प्रति वयस्क एवं 45/– रू0 प्रति बच्चा देने का प्रावधान किया गया है । राज्य में प्रायः परिवार को इकाई मानकर मुफ्त साहाय्य का भुगतान खाद्यान्न एवं नकद अनुदान के रूप में किया जाता है। यह मुफ्त साहाय्य एक माह के लिए दिया जाता है। पहले खाद्यान्न के रूप में एक क्विंटल अनाज दिया जाता था तथा निर्धारित नकद अनुदान की राशि का भुगतान किया जाता था, परन्तु अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के परिप्रेक्ष्य में अनाज के तत्काल अनुपलब्धतता के कारण खाद्यान्न के बदले राशि के भुगतान का निर्णय पूर्व से संसूचित है ।

3– बाढ़ के संबंध में यह प्रश्न सरकार के समक्ष विचारणीय था कि निर्धारित मानदर की कंडिका 1 (ड़) के अनुसार मुफ्त साहाय्य देने हेतु जरूरतमन्द परिवार किसे माना जाए। इस बिन्दु पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब कोई मोहल्ला/ टोला एवं गाँव नदी के पानी से चार–पांच दिनों तक चारो तरफ से घिर जाए तथा वहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता न बचे तथा इस घटना से लोगों का सामान्य जन–जीवन कुप्रभावित हो जाए, तो वैसे मोहल्ले /टोले एवं गाँव को बाढ़ प्रभावित माना जाएगा तथा उपरोक्त प्रभावित आबादी में सभी को मुफ्त साहाय्य अनुमान्य होगा। इसी प्रकार जिन घरों में चार–पांच दिनों तक नदी में आयी बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाए एवं उन घरों का दैनन्दिन

जीवन कुप्रभावित हो जाए, तो उन परिवारों को भी बाढ़ प्रभावित माना जाएगा एवं उन्हें भी मुफ्त साहाय्य अनुमान्य होगा ।

4– जहाँ तक उन परिवारों का संबंध है जिनका घर प्राकृतिक आपदा के कारण बह गया हो अथवा पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया हो अथवा, गंभीर रूप से एक सप्ताह से अधिक जल प्लावित हो गया हो, उन्हें उपरोक्तानुसार देय मुफ्त साहाय्य के साथ वस्त्र और बर्तन / घरेलू सामान हेतु देय अनुदान भी दिया जाएगा ।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक ...../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलों के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

प्रधान सचिव

mail

ज्ञापांक 3340 /आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 3/9/16.

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/9

प्रधान सचिव